



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23747

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 438 वर्ष 2026

ऊषा देवी और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विजय बहादुर यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"परमादेश की एक रिट जारी की जाए, जो चकबंदी अधिकारी, शाहगंज, जिला जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या-2) को चकबंदी अधिकारी, शाहगंज, जिला जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या-2) के न्यायालय में 11.04.2025 से लंबित वाद संख्या-10063, माता प्रसाद और अन्य बनाम राम मिलन और अन्य, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा-12 के तहत याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने का निर्देश दे।"

3. यह तर्क दिया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित प्रेषण आदेश दिनांक 21.10.1989 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही में वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 11.04.2025 को अपना उत्तर/आपत्ति दाखिल की है। इस तथ्य के बावजूद कि दोनों पक्ष उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है, उक्त कार्यवाही का आज तक निस्तारण नहीं किया गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, यदि उक्त मामले को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या-2) को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिमानत: चार महीने की अवधि के भीतर, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा कानून के अनुसार कड़ाई से उक्त मामले का निस्तारण करें।

6. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"